न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आरएएस

अपील संख्या 01/2020

1– किसनाराम पुत्र श्री लच्छाराम जाति जाट निवासी जाटाबास तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार लाडनूं जिला नागौरं राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री दुर्जाराम पूनिया व ओम प्रकाश पूनिया अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपीलअन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

बनाराजगी आदेश तहसीलदार, लाडनूं मुकदमा नं0 7/19 सरकार बनाम किसनाराम जाट साकिन जाटावास तहसील लाडनूं दिनांक 07.11.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक:26.02.21

(1) –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गततहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 07/2019 बअनुवान सरकार बनाम किसनाराम में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 के विरूद्ध पेश किया है।

(2) मामले के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का लाछड़ी ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्धन्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम जाटाबास के खसरा नम्बर 121/260 रकबा 0.1537 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता पर तारबंदी कररराजकीय भूमि पर अतिकमण कर रखा है, तथा अतिकमी को अतिकमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी ने नोटिस लेने से इन्कार किये जाने पर आबाद मकान पर चस्पानगी शुदा प्राप्त होने से एवं अपीलान्ट/अप्रार्थी के अनुपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा जाटाबास के खसरा नम्बर 121/260 रकबा 0.1537 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 रास्ता भूमि है, जिसे अपीलान्ट/अप्रार्थी ने तारबंदी कर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा जाटाबास के खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1537हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया तथा संवत 2076 की वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये प्रति बीघा से अतिकमित क्षैत्रफल का लगान 0.4275 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 22/– अक्षरे बाईस रूपये कायम किया गया। अप्रार्थी से जुर्माना वसुली हेतु पटवारी हल्का भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी करने बाबत आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 05.12.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 03.01.20 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/399 दिनांक 12.02.2021 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है मौजा जाटाबास तहसील लाडनूं में खसरा नम्बर 128/263 के मध्य एक कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 121/260 रकबा 0.1539 हैक्टेयर किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है, परन्तु यह रास्ता मौके पर कभी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला ...
डीडवाना

चालू हालत में नहीं रहा है। पीढियों से उक्त रास्ता के बजाय उक्त खसरा नम्बर 128/263 की पूर्वी व दक्षिणी सींव पर बहता आया है। अपील के साथ नजरी नक्शा संलग्न हैं

{3}(2) –यह है कि राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट की खातेदारी के उक्त खेत के दोनों खसरा नम्बरान के मध्य में से कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 121/260 दर्ज हो जाने से पटवारी हल्का लाछछी ने गांव के कुछ शरारती लोगों के बहकावें व दबाव में आकर अपीलान्ट के विरूद्ध एक मुकदमा सं0 7/19 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट तहसीलदार लाडनूं के यहॉ कर दिया।

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मुकदमें में अपीलान्ट को पक्षकार तो बनाया परन्तु अपीलान्ट को मुकदमें का नोटिस नहीं दिया गया और तामील कुनिन्दा से मिलकर नोटिस पर नोटिस लेने से इन्कार की इबारत लिखकर केवल दो व्यकित नेमीचन्द व हरिसिंह के हस्ताक्षर करवा लियें परन्तु मौतबीरों के पिता का नाम जाति व निवास स्थान आदि का कोई विवरण नहीं दिया और अपीलान्ट के हाजिर होने व सम्मन लेने से इन्कार की इबारत समन पर लिखकर समन पेश कर दिया है। अपीलान्ट को दिनांक 07.11.2019 को अनुपस्थित बताकर एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश कर उसी रोज पृथक से निर्णय लिखकर बेदखली आदेश पारित कर दिया

{3}(4) –यह है कि उक्त आदेश मिसल में आये तथ्यों के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

{3}(5) –यह है कि सम्मन पर जिन दो मौतबीरान के हस्ताक्षर तामील कराने बाबत कराये गये है। उन व्यक्तियों के न तो पिता का नाम लिखा है, न जाति लिखी है, न निवास स्थान बाबत लिखा गया है। इसलिए समन की तामिल विधिवत नहीं होने से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{4} – बहस पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का लाछड़ी की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक मिठड़ी द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम जाटाबास, के खसरा नम्बर 121/260 रकबा 0.1537 हैक्टेयर किस्म रास्ता पर सवंत 2076 से तारबंदी कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी को जारी नाटिस के पृष्ठ भाग पर तामील कुनिन्दा ने वर्तमान अंकित की हुई इबादत से पूर्व भी कुछ लिखा था जिसको इरेजर(सफेद स्याही) लगाकर मिटाया गया है तथा इरेजर लगााने के बाद नोटिस के पृष्ठ भाग पर तामीली टिप्पणी इस प्रकार अंकित की है "महोदयजी, आसामी की पुत्रि हाजिर मिली लेकिन नोटिस लेने से इन्कार किया अतः नोटिस की एक प्रति निम्न दो मौतबिरान के समक्ष आसामी के आबाद मकान पर चस्पा कर रिपोर्ट सेवामें पेश है।" इस पर दो व्यक्तियो के हस्ताक्षर/नाम लिखे हुए है जिनका पूर्ण विवरण अंकित नहीं है। दोनों मोतबिरान के हस्ताक्षर हैं लेकिन उनके पिता का नाम जाति व निवास स्थान आदि का कही भी कोई उल्लेख नहीं किया गया, तथा नोटिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में काट छांट कर पूर्व में कुछ और रिपोर्ट थी, तथा बाद में उस पर इरेजर/सफेद स्याही पोत कर आबाद मकान पर चस्पानगी की रिपोर्ट की गयी है। जिससे यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अप्रार्थी को समुचित तामील नहीं हुई है तथा उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है जो विधि व न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी/अप्रार्थी की तामील विधिवत नहीं हुई है। अपीलार्थी/अप्रार्थी को विधिवत समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली से साबित नहीं होता है।

:::: आ दे श ::::

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 07/2019 सरकार बनाम किसनाराम में अपीलान्ट अप्रार्थी को समुचित तामील नहीं करवाने व सुनवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

का अवसर दिये जाने के अभाव में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.11.2019 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर एक माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2021 को पेश हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)